सी आई एन क्र: U99999MH1919GOI000526
आई आर डी ए पंजीकरण क्र: 190

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय: न्यू इन्डिया एश्योरन्स, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फ़ोर्ट, मुंबई - 400001

www.newindia.co.in

300 प्रशासनिक अधिकारियों (जनरलिस्ट) (श्रेणी - 1) की भर्ती

संदर्भ: कार्पो:एचआरएम/प्र.अ./2016   10 अक्टूबर 2016

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी साधारण बीमा कंपनी तथा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन, 300 (जनरलिस्ट) श्रेणी - 1 संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु ओपन मार्केट से आवेदन आमंत्रित करती है.

कुल पदों की संख्या	अ.जा. (एससी)	अ.ज.जा. (एसटी)	अ.पि.व.* (ओबीसी)	अनारक्षित (यूआर)	पी.डब्ल्यू.डी		
					एचआई	वीआई	ओसी
300	43	15	84	158	3	3	3

यूआर-अनारक्षित, अ.जा.-अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.-अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व.-अन्य पिछडा वर्ग, पी.डब्ल्यू.डी.- अशक्तता सहित व्यक्ति, एचआई - बधिर व कम सुनने वाले, वीआई - क्षीण दृष्टि, ओसी - अस्थिरूप से विकलांगता.

उपर्युक्त रिक्तियां अस्थायी हैं और समयानुसार कंपनी की वास्तविक आवश्यकतानुसार परिवर्तित हो सकती है.
*अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी से संबंधित परंतु "क्रीमीलेयर" के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण और आयु छूट के पात्र नहीं होंगे. वे अपनी श्रेणी 'सामान्य' दर्शाएं.
परिणामों को अंतिम रूप देते समय विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण, प्रचलित सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार होगा.

राष्ट्रीयता :
कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को :-
(ए) भारत का नागरिक, या (बी) नेपाल का नागरिक, या (सी) भूटान का नागरिक, या (डी) तिब्बत का शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आए और स्थायी रुप से यहीं बस गए, या (ई) भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका के कीन्या, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जांबिया, मालवई, जायरे, इथोपिया और वियतनाम देशों से स्थानान्तरित होकर स्थायी रुप से भारत में बस गए हैं.

कृपया नोट करें कि उक्त पद हेतु आवेदन करने की मूल कसौटी यहां उल्लिखित पात्रता है. साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को आवश्यक रुप से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और इसके साथ ही अपनी पहचान से संबंधित स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि और श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यताओं आदि से संबंधित पात्रता के दस्तावेज़, जैसा कि ऑनलाईन आवेदन प्रारुप में दर्शाया है, प्रस्तुत करने होंगे. कृपया नोट करें कि ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी. पद हेतु आवेदन करने और लिखित परीक्षा और / या बाद में साक्षात्कार और / या बाद की प्रक्रिया में चयनित होने का यह अर्थ न लिया जाए कि उम्मीदवार को कंपनी द्वारा आवश्यक रुप से नियुक्त किया जाएगा. आवेदन की गई श्रेणी के अतिरिक्त किसी भी अन्य श्रेणी में उम्मीदवारी पर विचार करने के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बशर्ते, उम्मीदवार जो कि उपर्युक्त (बी), (सी), (डी) और (ई) की श्रेणियों से संबंध रखता है और जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया है.

कृपया महत्वपूर्ण तारीखें नोट करें :-

ऑन लाईन पंजीकरण एवम आवेदन शुल्क का भुगतान.	14 अक्तूबर - 1 नवम्बर 2016
ऑन लाईन परीक्षा का प्रथम चरण	17 दिसम्बर 2016
ऑन लाईन परीक्षा का द्वितीय चरण वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक	जनवरी 2017 (अस्थायी दिनांक)

उम्मीदवार केवल ऑन लाईन प्रणाली द्वारा ही आवेदन करें. किसी अन्य प्रणाली से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

1. सेवा शर्तें :-

समय-समय पर प्रचलित कंपनी के नियमों के अनुसार सेवा शर्तें लागू होंगी. कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति या स्थानांतरण कंपनी के निर्णय के अनुसार भारत में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है. **कृपया नोट करें कि उपरोक्त में से अधिकांश रिक्तियां महाराष्ट्र के मुंबई तथा उसके उप नगर, रत्नागिरी, रायगढ तथा सिंधुदुर्ग ज़िलों एवं गोवा व गुजरात राज्यों में हैं. प्रथम नियुक्ति के स्थान पर कार्यकाल न्यूनतम पाँच वर्षों का होगा।**

2. परिवीक्षा (प्रोबेशन) :-

कंपनी के नियमित पे-रोल में अधिकारी संवर्ग में नियुक्त उम्मीदवार सेवारंभ तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा. परिवीक्षा की अवधि दो बार (एक बार में छः माह) बढाई जा सकती है. बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष तक हो सकती है.

परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित गैर जीवन 'लाईसेंसशिएट परीक्षा', उत्तीर्ण करें. यह परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही अधिकारी कंपनी की सेवाओं में स्थायी होने का पात्र होगा. बढी हुई परिवीक्षा अवधि में भी उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने की स्थिति में अधिकारी को निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति पर सेवाओं से निकाला जा सकता है.

परिवीक्षा अवधि या बढी हुई इस अवधि के दौरान यदि किसी उम्मीदवार को किसी भी समय अयोग्य पाया जाता है तो एतदद्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या कारण न बताते हुए भी उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त कर देने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा.

3. गारंटी बॉण्ड:-

परिवीक्षा के तौर पर सेवारंभ करने से पहले चयनित उम्मीदवारों को प्रतिज्ञापत्र देना आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि सहित कम से कम चार वर्षों तक कंपनी की सेवा में रहेगा. यदि बॉण्ड अवधि समाप्त होने से पहले कंपनी से त्यागपत्र दिया जाता है तो वह कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान एक वर्ष में प्रदत्त सकल वेतन जितनी राशि का भुगतान परिसमापन क्षति के तौर पर भरने के लिए उत्तरदायी होगा. यह राशि प्रदान की गई सेवा की अवधि पर निर्भर करती है और अनुपातिक तौर पर कम भी की जा सकती है. इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को एक वर्ष के सकल वेतन जितनी राशि का मुद्रांकित बॉण्ड आर्थिक रुप से संपन्न दो जमानती (रक्त संबंधियों को छोड़कर) द्वारा विधिवत निष्पादित करवाकर प्रस्तुत करना होगा.

परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी से पद त्याग करने वाला उम्मीदवार और परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की सेवाओं से निलंबित किए गए उम्मीदवार, कंपनी में सेवा के दौरान प्राप्त वेतन की पूरी राशि के साथ-साथ प्रशिक्षण की आंशिक लागत के रुप में रु. 25,000/- की राशि का भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

वर्तमान नियोजक के साथ वास्तविक पद को बनाए रखने के लिए निष्पादित कोई भी ग्रहणाधिकार/अनुबंध पत्र कंपनी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा और छुट्टी संबंधी वेतन या पेंशन अंशदान भी नहीं दिया जाएगा.

4. पारिश्रमिक और लाभ :-

मूल वेतन रु.32,795/- के वेतनमान में रु. 32795-1610(14)-55335-1745(4)- 62,315 और अन्य लागू देय भत्ते. महानगरीय केन्द्रों में कुल लाभ प्रतिमाह रु. 51,000/- लगभग होगा. अन्य लाभ होंगे जैसे कि पेंशन, पी एफ आर डी ए द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत होगी, उपदान, एल टी एस, मेडीकल लाभ, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इत्यादि. अधिकारी कंपनी के नियमों के अनुसार कंपनी के /पट्टे पर आवास की सुविधा पाने के हकदार होंगे.

5. शैक्षणिक अर्हताएं (01.10.2016 तक) :-

सामान्य वर्ग उम्मीदवार के पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या उसके समकक्ष किसी भी क्षेत्र से स्नातक/स्नातकोत्तर कम से कम 60% अंकों सहित (स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी भी एक में) तथा अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूडी के लिए 55% अंकों सहित की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.

उम्मीदवार के पास 1.10.2016 को अर्हता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण करने का साक्ष्य धारक प्रमाण पत्र होना चाहिए.

टिप्पणी :

- शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संगठन/बोर्ड से होनी चाहिए जो सरकारी विनियामक संस्था द्वारा अनुमोदित हो तथा जिसका परिणाम 1.10.2016 को या उससे पहले घोषित हुआ हो.
- साक्षात्कार के समय 1.10.2016 को या उससे पहले बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणाम के उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
- 1.10.2016 को उम्मीदवार के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की वैद्य अंकसूची/डिग्री प्रमाणपत्र होना चाहिए.
- अंकों का प्रतिशत उम्मीदवार द्वारा सभी समेस्टर (रों) वर्ष (र्षों) में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों में से सभी विषयों के सकल अधिकतम अंकों में से निकाला जाएगा जोकि ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय को ध्यान में रखे बिना होगा. यह केवल उन विश्वविद्यालयों के लिए लागू होगा जिनमें श्रेणी /ग्रेड का निर्णय ऑनर्स के अंकों के आधार पर किया जाता है. ऐसे प्राप्त प्रतिशत के अपूर्णांक (फ्रैक्शन) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जैसे कि 59.99% को 60% से कम माना जाएगा.
- जहां सीजीपीए/ओजीपीए दिए गए हैं, वहां उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में बदलने के संबंध में क्या प्रणाली अपनाई गई है और शर्तों के अनुसार उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए है.

6. आयु (1.10.2016 को)

न्यूनतम आयु : 21 वर्ष. **अधिकतम आयु :** 30 वर्ष, 1.10.2016 तक

अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 2 अक्तूबर,1986 के पहले और 1 अक्तूबर,1995 के पश्चात् (दोनों तारीखें समाहित) नहीं होना चाहिए.

ऊपरी आयु सीमा के लिए छूट निम्नानुसार होगी :-

क्र.	श्रेणी	आयु छूट
1.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछडे वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)	3 वर्ष
3.	अशक्तता सहित व्यक्ति	10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक, कमिशन्ड अधिकारी सहित ईसीओ (एसएससीओज) जिन्होंने 01.10.2016 को सैनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष की सेवा प्रदान की है और नियत कार्य के पूर्ण होने पर उन्हें कार्यमुक्त किया गया हो (वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल 01.10.2016 से एक वर्ष की अवधि में पू री हो) अन्यथा उन्हें बरखास्तगी या कदाचार के कारण या अक्षमता के कारण सेवामुक्त या (बी) सैन्य सेवाओं के दौरान शरीरिक अशक्तता पाया गया हो या (सी) असमर्थता. वे ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने 1.10.2016 को सैन्य सेवा में प्रदत्त प्रारंभिक 5 वर्षों की अवधि पूरी की हैं और जिनका कार्यकाल पांच वर्षो के पार बढाया गया हो और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि वे असैनिक रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें चयन के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की सूचना के बाद कार्यमुक्त किया जा सकेगा.	5 वर्ष
5.	मोर्चाबंदी सेवाओं हेतु तैनात कार्मिक जो कि विदेशी शत्रुता की मोर्चेबंदी या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य के समय विकलांग हुए और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया हो.	3 वर्ष
6.	जो व्यक्ति जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर मंडल में 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान सामान्य अधिवासी रहे हों	5 वर्ष
7.	सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के वर्तमान स्थायी कर्मचारी (इसमें भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड शामिल है)	8 वर्ष

टिप्पणी :-

- यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त में से किन्हीं एक श्रेणी से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत छूट पाने का हकदार है तब यह छूट संयुक्त आधार पर दी जाएगी जो की सरकार के दिशानिर्देशों और कंपनी के नियमों के आधार पर होगा.
- उम्मीदवारों को जिन्हें आयु सीमा में छूट चाहिए उन्हें आवश्यक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करनी होंगी और साक्षात्कार के समय तथा/या पश्चात की भर्ती प्रक्रिया के दौरान मूल प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे.
- वह व्यक्ति जो कि अशक्तता के आधार पर आयु में छूट का हकदार है और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी का स्थाई कर्मचारी है (भारतीय बीमा निगम और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. भी शामिल), तो उसे छूट या तो 'अशक्तता सहित व्यक्ति' के आधार पर देय होगी या फिर 'सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी (भारतीय बीमा निगम और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया शामिल) के वर्तमान स्थाई कर्मचारी' के आधार पर होगा. इसमें से जो भी उसके लिए लाभदायक होगा.
- भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जिन्होंने पुन: नौकरी हेतु पूर्व सेवाओं का लाभ लेने के पश्चात सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी कर ली है उनके लिए सरकारी कार्यालय में पुन: नौकरी करने हेतु पूर्व सेवाओं के लाभ को प्राप्त करने की स्थिति समाप्त हो जाएगी. मगर उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा.
- भूतपूर्व सैनिक जो शासकीय सेवाएँ आरम्भ करने से पहले एक से अधिक रिक्तियों हेतु आवेदन करता है तत्पश्चात किसी भी रोजगार या नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ ले सकता है. तथापि भूतपूर्व सैनिक, जैसे ही वो कोई शासकीय सेवा आरम्भ करता है तो उसे संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र देना होगा जिसमें उसने प्रारंभ की शासकीय सेवा आरम्भ करने के पहले विभिन्न रिक्तियों हेतु किए गए आवेदनों का तिथिवार विवरण देना होगा. इसके साथ ही यह लाभ केवल उन रिक्तियों के मामले में प्राप्त होगा जो कि प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर भरी जाएंगी और जहां कहीं भी भूतपूर्व सेवारत व्यक्तियों को आरक्षण लागू होगा.
- अधिकारी श्रेणी मे पूर्व सेवारत व्यक्तियों के लिए आरक्षण नहीं है.

7. परिभाषाएं :-

क) भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएसएम):- केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक संशोधन अधिसूचना संख्या 36034/5/85 स्था(एससीटी) दिनांक 27.01.1986, समय-समय पर संशोधित, में उल्लिखित संशोधित परिभाषा को पूर्ण करते हैं.

ख) अशक्तता सहित भूतपूर्व सैनिक (डीआईएसएक्सएस) :- भूतपूर्व सैनिक जो सैन्यबल में दुश्मनों के विरुध्द लड़ते हुए या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य करते हुए विकलांग हुए उन्हें ही अशक्तता सहित भूतपूर्व सैनिक समझा जाएगा.

ग) अशक्तता सहित व्यक्ति :- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के खण्ड 33 के तहत केवल ऐसे व्यक्ति ही आरक्षण के पात्र होंगे जो कि 40% से अधिक की प्रासंगिक अशक्तता से ग्रस्त हैं और जिन्हें केन्द्र/ राज्य सरकार के चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है. तदनुसार निम्न अशक्तता वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं:-

i) क्षीण दृष्टि (वीआई) -

अंधत्व से तात्पर्य उन स्थितियों से हैं जहां व्यक्ति निम्न में से किसी एक स्थिति का सामना कर रहा है.

(ए) पूर्ण रुप से दृष्टि का न होना,

(बी) अच्छी आंख में सही लेन्स के साथ दृष्टि की तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(सी) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के एँगल में अंतरित होती हो या उससे बदतर.

कम दृष्टि का अर्थ, इलाज या मानक रिफरैक्टिव करेक्शन के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि क्षीण हो परंतु जो दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए इतना संभाव्य सामर्थ्य रखता हो कि वह कार्य की योजना बनाकर या उस कार्य को योग्य सहायक साधन द्वारा कर सकता है.

ii) बधिर व कम सुनने वाले (एचआई) -

बधिर वे व्यक्ति हैं जिनमें सुनने की ज्ञानेन्द्रिय क्षमता कार्य नहीं करती अर्थात दोनों कानों में पूर्ण रुप से बिल्कुल सुनाई नहीं देता. उन्हें ऊंची वाणी में बोले गए कथन भी समझ/ सुनाई नहीं देते. कम सुनाई देने का अर्थ अच्छे कान से 60 या उससे अधिक डैसीबल्स के आम बोल चाल का सुनाई न देना.

iii) अस्थिरूप से विकलांगता (ओसी) -

लोकोमोटर डिसएबिलिटी का अर्थ हड्डियों, जोड़ों या मांस पेशियों की अशक्तता के कारण हाथ-पैरों के संचालन में बाधा आना या किसी भी प्रकार का मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पालसी) का होना.

मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पालसी) का अर्थ व्यक्ति में अप्रगतिशील स्थितियों का होना जिसमें असामान्य मोटर कन्ट्रोल पोश्चर का होना है जो कि प्री-नटाल / जन्म के पूर्व का या शिशु के विकास के दौरान मस्तिष्क को पहुंची चोट या इन्सल्ट के कारण हुई हो.

अस्थिरूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले लोकोमोटर अशक्तता या सेरेब्रल पालसी के अंतर्गत आवरित किए जाएंगें.

<u>अशक्तता सहित व्यक्तियों को लिपिक (स्क्राइब) के प्रयोग के संबंध में दिशानिर्देश</u>

क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति सेरेब्रल पालसी के कारण प्रभावित होती है अपना स्वयं का स्क्राइब स्वयं के खर्चे पर ऑन लाईन परीक्षा के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे सभी मामले जहां स्क्राइब का प्रयोग किया जाता है वहां निम्न नियम लागू होंगे:-

- उम्मीदवार को स्वयं के खर्च पर स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.
- स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है.
- वे उम्मीदवार जो स्क्राइब का प्रयोग कर रहे हैं वे परीक्षा के प्रत्येक एक घण्टे के लिए बीस मिनट प्रतिपूरक पाने के हकदार होंगे.
- एक से अधिक उम्मीदवार द्वारा एक ही स्क्राइब का प्रयोग नहीं किया जा सकता. इसके अतिरिक्त उम्मीदवार द्वारा लिया गया स्क्राइब परीक्षा में एक उम्मीदवार स्वरुप नहीं होना चाहिए. यदि किसी भी स्तर पर उपर्युक्त बातों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. पात्र उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जो परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें सावधानीपूर्वक अपने आवेदन प्रारुप में इस बात का उल्लेख करना होगा. बाद में किए गए किसी भी प्रकार के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- स्क्राइब न्यू इंडिया एशुरेंस का वर्तमान कार्मिक नहीं होना चाहिए॰
- दोनों, उम्मीदवार तथा स्क्राइब, को एक योग्य आश्वासन देना होगा जिसमें इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि स्क्राइब उपर्युक्त निर्धारित सभी पात्रताओं को पूर्ण करता है. परंतु यदि बाद में यह पाया गया कि उम्मीदवार ने निर्धारित पात्रता को पूर्ण नहीं किया या तथ्यों को छिपाया तब आवेदक की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी चाहे परिणाम जो भी रहा हो.

उम्मीदवार के लिए दिशा-निर्देश

लोकोमोटर सहित अशक्तता और सेरेब्रल पालसी

लोकोमोटर सहित अशक्तता और सेरेब्रल पालसी सहित उम्मीदवारों को जहां मुख्य रुप से लिखित कार्य इतना प्रभावित होता है कि लिखने के कार्य की गति धीमी पड़ जाती है (न्यूनतम 40% अशक्तता) ऐसे उम्मीदवारों को प्रति घंटा 20 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा.

क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार

- क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार (न्यूनतम 40% अशक्तता) जिन्हें परीक्षा की विषयवस्तु के फोंट को देखने में असुविधा होती है उन्हें उन फोंट को बड़ा करके देखने का विकल्प दिया जा सकता है॰ उन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रति घंटे में 20 मिनट प्रतिपूरक समय दिया जाएगा.
- क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार जोकि परीक्षा में सक्राइब की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में विषय वस्तु के फोंट को बडा करके देखने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी. यह दिशा-निर्देश समय समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, में हुए परिवर्तन के अधीन होंगे.

8. चयन प्रक्रिया

<u>प्रथम चरण - प्रारम्भिक परीक्षा :</u>

100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा निम्न तीन खंडों में 1 घंटे की अवधि की होगी

क्र.	परीक्षा का नाम (क्रमवार नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि	परीक्षा का माध्यम
1.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	30	1 घंटा	अंग्रेजी
2.	तर्क ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	35		अंग्रेजी / हिन्दी
3.	मात्रात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	35		अंग्रेजी / हिन्दी
	कुल (पूर्ण योग)		**100**		

ऊमीद्वार को प्रत्येक खंड में कंपनी द्वारा तय किए गए अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. प्रत्येक वर्ग में कंपनी द्वारा तय किए गए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को (उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का लगभग 15 गुणा- उपलब्धता पर निर्भर) द्वितीय चरण- मुख्य परीक्षा हेतु अल्पसूचित किया जाएगा.

<u>द्वितीय चरण- मुख्य परीक्षा :</u>
मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा 200 अंक तथा वर्णनात्मक 30 अंकों की होगी. वस्तुनिष्ठ तथा वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑन लाइन होंगी. उम्मीदवार को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर कम्प्यूटर पर टंकित करते हुए देना होगा. वस्तुनिष्ठ परीक्षा के पूर्ण होते ही वर्णनात्मक परीक्षा तुरंत आरंभ हो जाएगी.

(i) वस्तुनिष्ठ परीक्षा: वस्तुनिष्ठ परीक्षा चार खंडों में 200 अंक की दो घंटे की अवधि की होगी.

क्र.	परीक्षा का नाम (क्रमवार नहीं)	परीक्षा का प्रकार	कुल अंक	परीक्षा का माध्यम	अवधि
1.	तर्क ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी / हिन्दी	120 मिनिट
2.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी	
3.	सामान्य ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी / हिन्दी	
4.	मात्रात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी / हिन्दी	
	कुल (पूर्ण योग)		**200**		

ii) वर्णात्मक परीक्षा: 30 मिनट की अवधि में 30 अंकों की अंग्रेजी भाषा में वर्णात्मक परीक्षा होगी (पत्र लेखन- 10 अंक तथा निबंध- 20 अंक). वर्णात्मक परीक्षा अंग्रेजी में होगी तथा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी.

प्रत्येक उम्मीदवार को वर्णात्मक परीक्षा आंकलन/साक्षात्कार की शार्टलिस्टिंग हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में निश्चित न्यूनतम या उससे अधिक अंक हासिल करने होंगे. वर्णात्मक परीक्षा आंकलन केवल उन ही उम्मीद्वारों का किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में निश्चित न्यूनतम या उससे अधिक अंक हासिल करेंगे. रिक्तियों की संख्या के आधार पर वर्णात्मक परीक्षा आंकलन के लिए कट ऑफ निर्धारित की जाएगी।

प्रत्येक उम्मीदवार को साक्षात्कार की शार्टलिस्टिंग हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में निश्चित न्यूनतम या उससे अधिक कुल अंक (कंपनी द्वारा रिक्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित) प्राप्त करने होंगे तथा वर्णात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.

उम्मीदवार को वर्णात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है परंतु वर्णात्मक परीक्षा के अंक साक्षात्कार की शार्टलिस्टिंग या अंतिम चयन के लिए नहीं जोड़े जाएंगे.

गलत उत्तरों के लिए दंड- प्राथमिक और मुख्य परीक्षा दोनों पर लागू

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए दंड का प्रावधान है. प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए उम्मीदवार ने गलत उत्तर दिया है तो सही स्कोर/अंक प्राप्त करने के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों में से एक चौथाई अंकों की कटौती की जाएगी. यदि प्रश्न खाली छोड़ा गया है जैसा कि उस प्रश्न का उम्मीदवार ने उत्तर नहीं अंकित किया है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा.

कंपनी ने परीक्षा की संरचना में संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है, जिसे वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जाएगा.

तृतीय चरण: साक्षात्कार

द्वितीय चरण के अंत में जिन उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जाएगा , उन्हें तदनंतर कंपनी द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. साक्षात्कार चुने हुए केंद्रों पर ही आयोजित किया जाएगा. ऑन लाईन परीक्षा और साक्षात्कार का वेटेज (अनुपात) क्रमश: 80:20 होगा. शॉर्टलिस्टिड उम्मीदवारों को बुलावा पत्र में साक्षात्कार के केंद्र, स्थान का पता, समय और तारीख की सूचना दी जाएगी. उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे कंपनी की वेबसाईट से साक्षात्कार बुलावा पत्र डाउनलोड करें. कृपया नोट करें कि साक्षात्कार की तारीख, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होंगे. हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में कंपनी साक्षात्कार की तारीख/स्थल/केंद्र इत्यादि बदलने या किसी अन्य निश्चित तारीख/सत्र/स्थल/केंद्र/उम्मीदवारों के समूह का अनुपूरक प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

अंतिम चयन

अंतिम चयन मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) और साक्षात्कार दोनों के सकल अंकों पर आधारित होगा. उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए सकल अंकों के अवरोही आधार पर अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी. वे उम्मीदवार जो वरीयता सूची में रिक्तियों की संख्या के बीच आते हैं उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार प्रबंधन के विवेकाधिकार के आधार पर एक से अधिक बैच हेतु नियुक्ति किए जा सकते है. चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता वरीयता/चयन सूची पर आधारित होगी. प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी जोकि रिक्तियों की 50% संख्या से अधिक नहीं होगी और इनका उपयोग अंतिम वरीयता सूची से चयनित उम्मीदवारों द्वारा नौकरी के अवसर को अस्वीकार किए जाने के बाद किया जाएगा.

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे आयु और शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को आवेदन से पूर्व पूरा कर लें. शैक्षणिक योग्यता का अंतिम परिणाम 1.10.2016 को या उससे पहले प्रकाशित हो गया होना चाहिए. यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी को भर्ती के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है. ऑनलाइन परीक्षा (ओं) और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार यह कतई न समझें कि उक्त पद के लिए उनका चयन किया जाना उनका अधिकार है.

कृपया नोट करें की उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

1) निर्धारित तिथि तथा परीक्षा सत्र के लिए वैध बुलावा पत्र
2) मूल फोटो - पहचान साक्ष्य (विनिर्दिष्ट अनुसार) जिसमें बुलावा पत्र / आवेदन पत्र के अनुसार वही नाम और अन्य जानकारी दर्शाई गई हो और
3) फोटो पहचान साक्ष्य की फोटो प्रति (नीचे दिये गए विवरण के अनुसार*)

***पहचान का सत्यापन:**
परीक्षा हाल तथा साक्षात्कार के समय बुलावा पत्र के साथ उम्मीदवार वर्तमान वैध फोटो पहचान की प्रतिलिपि सत्यापन हेतु पर्यवेक्षक को जैसे कि पैन कार्ड / पासपोर्ट/ ड्राइविंग लायसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटो सहित मूल बैंक पास बुक / कार्यालय पत्र शीर्ष में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी सत्यापित फोटो पहचान/ कार्यालय पत्र शीर्ष में जन प्रतिनिधि द्वारा जारी सत्यापित फोटो पहचान / मान्यता प्राप्त कॉलेज या युनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जारी किया गया वैध पहचान कार्ड/ फोटो सहित आधार कार्ड/ कार्मिक आईडी/ फोटो ग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान कार्ड प्रस्तुत करें. उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन उसके द्वारा बुलावा पत्र, उपस्थित सूची और प्रस्तुत किए गए संबंधित दस्तावेज के विवरणों के साथ किया जाएगा. यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध पाई जाती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
इस प्रक्रिया हेतु राशन कार्ड वैध आईडी साक्ष्य नहीं है.

टिप्पणी : उम्मीदवार को मूल पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और फोटो पहचान साक्ष्य की प्रतिलिपि परीक्षा में उपस्थिति के दौरान परीक्षा बुलावा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. क्रमश: इसी प्रकार साक्षात्कार के समय साक्षात्कार बुलावा पत्र सहित प्रस्तुत करें. इसके बिना परीक्षा / साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवार अवश्य नोट करें कि बुलावा पत्र में दर्शाया गया नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया हो) और फोटो पहचान साक्ष्य पर दर्शाया गया नाम बिल्कुल समतुल्य हो. महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के पश्यात् अपना पहले/अंतिम/मध्य नाम में परिवर्तन किया है इसे विशेष रुप में नोट करें. बुलावा पत्र और फोटो पहचान साक्ष्य में दर्शाए गए नाम के बीच किसी भी प्रकार का भेद पाया जाता है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठनें की अनुमति नहीं दी जाएगी.

विलंब से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अर्थात परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में विनिर्दिष्ट **रिपोर्टिंग समय के पश्चात आनेवाले उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी.** बुलावा पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा आरंभ समय से पहले होगा. भले ही प्रथम चरण परीक्षा की अवधि 1 घंटा तथा द्वितीय चरण के लिए 2.5 घंटे है, उम्मीदवार को विभिन्न औपचारिकताएं जैसे सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों को इकठ्ठा करने , लॉग-इन एवं निर्देशों इत्यादि हेतु परीक्षा स्थल पर अधिक समय के लिए रहना होगा.

बायमेट्रिक डाटा - केपचरिंग और सत्यापन

यह निर्णय लिया गया है कि वे उम्मीदवार जो प्राथमिक परीक्षा (प्रथम चरण) उत्तीर्ण करने के पश्चात् मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) में भाग ले रहे हैं, उनका मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) के दिन बायमेट्रिक डाटा (बाये अंगूठे का निशान या अन्य) तथा फोटोग्राफ लिया जाएगा. बायमेट्रिक डाटा तथा फोटोग्राफ को दो अवसर, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साक्षात्कार तथा अस्थायी रुप से चयन किए गए उम्मीदवार के सेवा प्रारंभ के समय सत्यापित किया

जाएगा. इस से संबंधित (सुमेल तथा बेमेल) की स्थिति का निर्णय बायमेट्रिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा.

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया के सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न मदों का ध्यान रखें:

- यदि उंगलियों में कोटिंग (स्टैंप स्याही/मेंहदी/रंग इत्यादि) हो तो सुनिश्चित करें कि उसे अच्छी तरह धो लिया गया है ताकि परीक्षा/साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण दिवस से पहले कोटिंग पूर्ण रुप से निकल गयी हो.
- यदि उंगलिया गंदी या मैली हैं , सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट /उंगली की छाप (बायमैट्रिक) कैपचर करने से पहले उन्हें धो और सुखा लिया गया है.
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलिया सूखी हैं. यदि उंगलिया गीली हैं तो प्रत्येक उंगली को सुखा लें.
- यदि प्रमुख उंगली (बाया अंगूठा) जिसे कैपचर किया जाना है में चोट/क्षति हुई है तो परीक्षा केंद्र के संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें. ऐसे मामलों में अन्य उंगलियां, पैर की उंगलियों की छाप इत्यादि को कैपचर किया जा सकता है.

<u>साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (जो लागू हो)</u>

साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को अपनी पात्रता और पहचान के समर्थन में **निम्न दस्तावेज़ मूल रूप में और स्व:सत्यापित फोटो प्रतियों** के साथ निश्चित रूप से प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा ना कर पाने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं होगी॰ **साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर आगामी भर्ती प्रक्रिया में उसकी उम्मीदवारी वर्जित कर दी जाएगी.**

i. वैध साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंट आउट.

ii. ऑनलाईन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑनलाईन आवेदन फार्म का वैध सिस्टम जनरेटिड प्रिंटआउट.

iii. जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी या एसएसएलसी/ जन्मतिथि के साथ दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र)

iv. विज्ञापन में दर्शाए गए अनुसार पहचान को सत्यापित करते हुए फोटो पहचान साक्ष्य.

v. बोर्ड / यूनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 01.10.2016 से पहले या तक परिणाम घोषित करता हुआ दसवीं, बारहवीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर(यदि कोई है तो) या समतुल्य शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की अंक सूची तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाया जाए. जहां सीजीपीए /ओजीपीए दिये गए है वहाँ उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा जिसमें विश्व विद्यालय द्वारा ग्रेड की प्रतिशत के परिवर्तन से संबधित शर्त तथा उम्मीदवार द्वारा नियमों के आधार पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया हो.

vi. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में माँगा गया. जाति प्रमाणपत्र तथा जाति वैधता प्रमाण पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.
अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से धारा होनी चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमीलेयर वर्ग से संबंधित नहीं है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछडी जातियों के आरक्षण के लाभों से वर्जित है. नॉन क्रीमीलेयर क्लॉज से संबंधित अ.पि.व. जाति प्रमाणपत्र, ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि पर वैध होना चाहिए जैसा कि इस विज्ञापन के मद संख्या 13(B) में उल्लेखित है. प्रमाणपत्र में जाति के नाम का उल्लेख, केंद्र सरकार सूची /अधिसूचना के पत्र के साथ हूबहू मेल खाना चाहिए.
अ.पि.व. से संबंधित उम्मीदवार परंतु क्रीमीलेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा/ या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो वह अ.पि.व. आरक्षण पाने के पात्र नहीं है. वे उम्मीदवार ऑनालाइन आवेदन प्रारूप में अपने वर्ग को 'सामान्य' दर्शायें.

vii. अशक्तता सहित व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में अशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो.
ऑन लाईन परीक्षा (ओं) के समय यदि उम्मीदवार स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करता है तो विनिर्दिष्ट प्रारूप में स्क्राइब का विवरण विधिवत भरा जाए.

viii. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश तथा अंतिम /वर्तमान रैंक के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या सेवामुक्ति पुस्तिका प्रस्तुत करनी होगी (मूलभूत के साथ-साथ कार्यकारी). वे जो अब भी रक्षा सेवाओं में हैं, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें 30.09.2017 तक या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा.

ix. सरकारी, अर्ध सरकारी /सार्वजनिक उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) की सेवाओं के उम्मीदवार को अपने साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा. इसके न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा व्यय, अन्य प्रकार से देय, स्वीकार्य नहीं होंगे.

x. (6)6 के अंतर्गत आयु की छूट के लिए पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अधिवास प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि जिला अधिकार क्षेत्र, जहाँ का वह साधारणतय निवासी है, या जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यह बताया जाता है कि उम्मीदवार 01.01.80 से 31.12.89 तक जम्मू एवं काश्मीर राज्य के क्षेत्र का अधिवासी था.

xi. अनुभव प्रमाणपत्र यदि कोई हैं तो

xii. राष्ट्रीयता के आधार पर (बी) (सी) (डी) और (इ) की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें
xiii. पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज.

टिप्पणी : यदि उम्मीदवार उपर्युक्त उल्लिखित पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो उसे साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

9. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)

दिनांक **14.10.2016 से 01.11.2016** तक (दोनों तिथियां शामिल) ऑनलाइन अदा किया जाना है.

क्र.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अ.जा/ अ.ज.जा/ पीडब्लू डी	**रु. 100/-(केवल सूचना शुल्क)**
2	अ.जा/ अ.ज.जा/ पीडब्लूडी उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवार	**रु. 600/- (आवेदन शुल्क जिसमें सूचना शुल्क भी शामिल है.)**

*यदि कोई ट्रांज़एक्शन शुल्क होगा तो उसे उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा
एक बार अदा किया गया शुल्क / सूचना शुल्क किसी भी रुप में लौटाया नहीं जाएगा और न ही वह किसी अन्य परीक्षा या चयन हेतु सुरक्षित रखा जाएगा.

10. (ए) परीक्षा केन्द्र :

- सत्र की परीक्षा से संबंधित बुलावा पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ऑन लाईन परीक्षा संचालित की जाएगी.
- परीक्षा के केन्द्र / स्थान/ दिनांक / परीक्षा सत्र में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा
- हालांकि फिर भी कंपनी अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह किसी भी परीक्षा केंद्र और /या कुछ अन्य केन्द्रों को अपने विवेकाधिकार द्वारा आवेदनों की संख्या और/या प्रशासनिक व्यवहार्यता को देखते हुये रद्द कर सकती है या बढ़ासकती है.
- उम्मीदवार द्वारा चुने गए केंद्र को छोडकर उसे अन्य कोई भी केंद्र आबंटित करने का अधिकार भी कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा.
- उम्मीदवार परीक्षा केंद्र (ओं) पर स्वयं के जोखिम पर और खर्चे पर उपस्थित रहेगा और किसी भी प्रकार के घाव या हानि आदि के लिए कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
- प्रथम चरण के परीक्षा केन्द्रों की अस्थायी सूची नीचे दी गयी है
- द्वितीय चरण के परीक्षा केन्द्रों की संख्या सीमित होगी

परीक्षा केंद्र तथा तिथि कंपनी के विवेकाधिकार पर बदले जा सकते हैं. किसी भी केंद्र में परीक्षा के रद्द होने की स्थिति में कंपनी के पास संबंधित उम्मीदवार को वैकल्पिक केंद्र आबंटित करने का विवेकाधिकार है. प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के लिए अलग-अलग बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाएं गए वेबसाईट लिंक www.newindia.co.in से उचित समय पर डाउन लोड किए जाए. बिना बुलावा पत्रों के उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी.

नोट: यदि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या ने 'ऑनलाईन' परीक्षा के लिए किसी विशेष केन्द्र का विकल्प नहीं लिया है तो अन्य किसी भी संलग्न केंद्र उन उम्मीदवारों को आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है या ऑनलाईन परीक्षा के लिए उपलब्ध अन्य सेंटर/केंद्र में सामर्थ्य से अधिक उम्मीदवारों की संख्या होने पर उम्मीदवारों को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है.

प्रथम चरण की परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों (अस्थायी) में आयोजित की जाएगी.

राज्यक्र.	राज्य/ के.शा.प्र/ र. रा.क्षे	केंद्र
11	अंडमान एंड निकोबार	पोर्ट ब्लेर
12	आंध्र प्रदेश	चिराला
		चित्तूर
		गुन्टूर
		हैदराबाद
		काकीनाड़ा
		कुरनूल
		नेल्लौर
		ओंगोल
		पुत्तूर
		राजाहमुद्री
		श्रीकाकुलम
		विशाखापट्टनम
		विजयवाडा
		तिरुपति
		विजियानाग्राम
13	अरुणाचलप्रदेश	इटानगर
		नहरलगुन
14	असम	गुवाहाटी
		डिबरुगढ
		जोरहाट
		कोकराझार
		सिल्चर
		तेजपुर
15	बिहार	आरा
		औरंगाबाद
		भागलपुर
		बिहार शरीफ़
		दरभंगा
		गया
		हाजीपुर
		मुजफरपुर
		पटना
		पूर्णिया
		समस्तीपुर
		सिवान
16	चंडीगढ़	चंडीगढ़
17	छतीसगढ	भिलाई
		बिलासपुर
		रायपुर
18	दाद्रा एवं नगर हवेली	सूरत
19	दमन एवं दिऊ	जामनगर
		सूरत
20	दिल्ली	दिल्ली
		ग्रेटर नोएडा
		गुडगांव
		बहादुरगढ़
		गाज़ियाबाद
		फ़रीदाबाद
21	गोवा	पणजी, वेरना
22	गुजरात	अहमदाबाद
		आनंद
		बडौदा
		गांधीनगर
		हिम्मतनगर
		सूरत
		राजकोट
		मेहसाना
		जामनगर
23	हरियाणा	अंबाला
		हिसार
		करनाल
		कुरुक्षेत्र
		पलवल
		पानीपत
		सोनीपत
		यमुना नगर
24	हिमाचल प्रदेश	शिमला
		हमीरपुर
		बद्दी
		बिलासपुर
		धरमशाला
		कांगड़ा
		कुल्लू
		मंडी
		सिरमौर
		सोलन
		ऊना
25	जम्मू व काश्मीर	जम्मू
		कठुआ
		संबा
26	झारखंड	रांची
		जमशेदपुर
		धनबाद
		बोकारो
		हज़ारीबाग
27	कर्नाटक	बेंगलुरु
		हुबली
		मैसूर
		बेलगाम
		बिदर
		गुलबर्गा
		शिमोगा

		उडिपी
		मैंगलोर
28	केरल	कोच्ची
		तिरुवनंतपुरम
		अल्लापुया
		कन्नूर
		कोल्लम
		कोझिकोड
		मल्लापुरम
		पलक्कड़
		थ्रिशूर
		कोटयम
29	लक्षद्वीप	कवरत्ती
30	मध्यप्रदेश	भोपाल
		इंदौर
		जबलपुर
		सागर
		सतना
		उज्जैन
		ग्वालियर
31	महाराष्ट्र	मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई
		नांदेड़
		पुणे
		नागपुर
		कोल्हापुर
		अमरावती
		नासिक
		चंद्रपुर
		धुले
		जलगांव
		लातूर
		रत्नागिरी
		सांगली
		सतारा
		औरंगाबाद
32	मणिपुर	इम्फाल
33	मेघालय	शिलोंग
		रि- भोई
34	मिजोरम	आइजवल
35	नागालैंड	कोहिमा
36	उडीसा	भुवनेश्वर
		संबलपुर
		बालासोर
		राउरकेला
		अंगुल
		बरगढ़
		बरिपाड़ा
		कटक
		धेंकनाल
		झारसुगुड़ा
		बरहमपुर (गंजम)
37	पुदुचेरी	पुदुचेरी
38	पंजाब	लुधियाना
		जालंधर
		भटिंडा
		फतेगढ़ साहिब
		मोहाली
		पठानकोट
		पटियाला
		फगवाड़ा
		संगरूर
		अमृतसर
39	राजस्थान	जयपुर
		जोधपुर
		कोटा
		उदयपुर
		अलवर
		भीलवाड़ा
		बीकानेर
		सीकर
		अजमेर
40	सिक्किम	गैंगटॉक
41	तमिलनाडू	चेन्नै
		कोयम्बटूर
		मदुराई
		वैलोर
		डिंडिगुल
		कृष्णगिरी
		नागरकॉय्ल
		नमक्कल
		पेरंबलूर
		थञ्ज्वूर
		त्रिचिरपल्ले
		थूथूकोडी
		तिरुनेल्वेल्ली
		सालेम
42	तेलनगाना	हैदराबाद
		करीमनगर
		खम्मम
		वारंगल
43	त्रिपुरा	अगरतला
44	उत्तरप्रदेश	लखनऊ
		इलाहाबाद
		वाराणसी
		कानपुर

		आगरा
		अलीगढ़
		बुलंदशहर
		गोरखपुर
		झांसी
		मथुरा
		मेरठ
		मुरादाबाद
		मुज़फ्फ़रनगर
		उन्नाव
		बरेली
45	उत्तराखंड	देहरादून
		हलदवानी
		रुड़की
		हरिद्वार
46	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
		सिलीगुडी
		आसनसोल
		बेरहमपुर
		बर्धमान
		दुर्गापुर
		ग्रेटर कोलकाता
		हुगली
		कल्याणी
		हावडा

10 (बी) परीक्षा - पूर्व प्रशिक्षण (गैर आवासीय): अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(नॉन क्रीमी) उम्मीदवार जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे अपनी सुविधा के अनुसार न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय में अपना नाम अन्य विवरणों सहित पंजीकृत करवा सकते हैं. क्षेत्रीय कार्यालय पंजीकृत उम्मीदवार को प्रशिक्षण की तारीख और स्थल की सूचना देंगे. ऐसे उम्मीदवारों को निर्देशित, निर्धारित तारीखों और स्थल पर प्रशिक्षण स्वयं के खर्च पर प्राप्त करना होगा. हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण हेतु उम्मीदवार अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारी वेबसाईट http:newindia.co.in तथा प्रशिक्षण के लिए आवेदन का प्रारूप का संदर्भ ले सकते हैं.

11. आवेदन कैसे करें

विस्तृत दिशा-निर्देश / प्रक्रिया निम्नलिखित के लिए :

ए. आवेदन पंजीकरण

बी. शुल्क भुगतान

सी. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड

उम्मीदवार केवल 14.10.2016 से 01.11.2016 तक ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं और अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे.

पंजीकरण से पूर्व नोट की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें-

ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार को चाहिए कि

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करें और यह सुनिश्चित करते हुए कि वे फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने हेतु दिए गए आवश्यक विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर रहे हों.
- वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाईल नं. हो जोकि भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रीय रखा जाना चाहिए. सभी कार्यालयीन पत्राचार उम्मीदवार के ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे. उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी न होने की स्थिति में, वह ऑन लाईन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल आईडी बनाए और मोबाईल रखें और अपना ई-मेल खाता और मोबाईल नंबर बरकरार रखें.

(ए) आवेदन प्रक्रिया

- उम्मीदवार को कंपनी की वेबसाईट **http://newindia.co.in** पर भर्ती (रिक्रूटमेंट) खंड में **"अप्लाई ऑन लाईन"** पर क्लिक करना होगा जिससे नई स्क्रीन खुलेगी.
- आवेदन पंजीकरण हेतु **"क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन"** का बटन चुने और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी दर्ज करें. स्क्रीन पर अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा. उम्मीदवार अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करें. अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाले ई-मेल और एस.एम.एस. भी भेजे जाएंगे.
- उम्मीदवार द्वारा एक बार आवेदन पूर्ण न कर पाने की स्थिति में वे पहले से प्रविष्ट किये गये डाटा को "सेव एंड नेक्स्ट" टैब के माध्यम से सेव करें. ऑनलाईन आवेदन की प्रस्तुति से पहले उम्मीदवार को निर्देश दिया जाता है कि वह "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में सभी विवरणों को सत्यापित कर लें और यदि आवश्यक हो तो उनका संशोधन भी करें. क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले अपने सभी विवरणों को सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें.

- उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई सभी जानकारियों को अंतिम समझा जाएगा तथा अंतिम प्रस्तुति के पश्चात सुधार की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऑन लाईन आवेदन ध्यानपूर्वक भरें और सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें क्योंकि **"फाईनल सबमिट"** बटन क्लिक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव / मान्य नहीं होगा.
- आवेदन में उम्मीदवार का नाम या उसके पिता / पति इत्यादि के नाम की वर्तनी सही हो जैसे कि उसके प्रमाणपत्रों / अंक सूचियों तथा फोटो आइ डी/पहचान पत्र में दिखाया गया हो. किसी भी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.
- अपने विवरणों को प्रमाणित करें और अपने आवेदन को "वैलिडेट यूअर डिटेल्स" पर क्लिक कर सेव करें और "सेव एण्ड नेक्स्ट बटन" पर क्लिक करें.
- मद क्रमांक "सी" में दिये गये फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु आगे बढ़े.
- उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के अन्य विवरणों को भरने के लिए आगे बढ़ सकता है.
- प्रीव्यू हेतु प्रीव्यू टैब क्लिक करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले संपूर्ण आवेदन फॉर्म को जांच लें.
- यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और आप द्वारा अपलोडेड फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और भरे गये अन्य विवरण सत्यापित और सुनिश्चित करने के पश्चात ही "फाईनल सबमिट" पर क्लिक करें.
- " पेमेंट" टैब पर क्लिक करें और भुगतान हेतु आगे बढ़ें.
- "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.

<u>(बी) शुल्क का भुगतान (केवल ऑनलाईन माध्यम से)</u>

- आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन फॉर्म को पूर्ण करने वाली प्रक्रिया है और यह भुगतान प्रक्रिया निर्देशों के अनुसार पूरी की जा सकती है.
- भुगतान केवल मास्टर / वीजा डेबिट या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से किया जा सकता है.
- ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में भुगतान सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात, कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त करने का इंतजार करें. दोहरे शुल्क के प्रभार से बचाव हेतु "बैक" या "रिफ्रेश" बटन न दबाएं.
- सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन पूरी होने पर **ई-रसीद** जनरेट होगी.
- ई-रसीद जनरेट न होना इस बात को दर्शाता है कि भुगतान रद्द हो गया है. भुगतान के रद्द होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए पुन: लॉग ईन करें और भुगतान की प्रकिया को दोहराएं.
- उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है **<u>कि वे ई-रसीद और ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लें. कृपया नोट करें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो यह समझें कि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है.</u>**
- **क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं हेतु:** सभी प्रभार भारतीय रुपयों में सूचीबद्ध हैं. यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक वर्तमान प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार उसे स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा.
- अपने डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृपया एक बार अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने के पश्चात ब्राऊजर विंडों बंद कर दें.
- शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क विवरणों सहित आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेने की सुविधा है.

(सी) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश

- **फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.**
- **उम्मीदवार आवेदन में संशोधन कर सकता है और ऐसे मामले में वह फोटोग्राफ / हस्ताक्षर पुन: अपलोड कर सकता है.**

फोटोग्राफ की छवि

- फोटोग्राफ वर्तमान पासपोर्ट आकार और रंगीन होनी चाहिए.
- तस्वीर रंगीन होनी चाहिए, प्रमुखत: पृष्ठभूमि सफेद या हलके रंग की हो.
- कैमरे को सीधे देखें और चेहरा ढीला (रीलैक्स) रखें.
- यदि तस्वीर धूप में ली गई है तो सूरज आपकी पिछली तरफ हो, या स्वयं को छावं में रखे ताकि आपकी आंखें झपकें नहीं और कोई गहरी छाया न हो.
- यदि फ्लैश का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि "रेड आई" न हो.
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट दिखें.
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं है. पगड़ी / धार्मिक दृष्टिकोण से सिर को ढकने की अनुमति है परन्तु यह आपके चेहरे को ढके नहीं.
- आकार 200 x 230 पिक्सल (विशेषत:)
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. के बीच में हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई ईमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाईल का आकार 50 केबी से अधिक होता है तो स्कैनर की सैटिंग जैसे कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को स्कैन करते समय /प्रोसेसिंग के दौरान समायोजित करें.

हस्ताक्षर की छवि :

- आवेदक सफेद पेपर पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें.
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किया जाए और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं.
- हस्ताक्षर का उपयोग बुलावा पत्र तथा जहां आवश्यक हो किया जाएगा.
- परीक्षा के समय बुलावा पत्रों तथा उपस्थिती शीट से अपलोड किए गए हस्ताक्षर का मिलान होना चाहिए . मिलान न होने पर आवेदन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
- आकार 140x60(पिक्सल) प्रमुखत:
- आकार 10 केबी से 20 केबी के बीच हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई छवि का आकार 20 केबी से अधिक न हो.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग

- स्कैनर का रेसोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई (डोट्स प्रति इंच) पर सैट करें
- रंग को ट्रू कलर पर सैट करे
- फाईल का आकार उक्तानुसार विनिर्दिष्ट हो.
- फोटोग्राफ/हस्ताक्षर के किनारे तक इमेज को स्केनर में क्रोप करें फिर अपलोड एडिटर का प्रयोग करते हुए इमेज को अंतिम साईज तक क्रोप करें (जैसा उल्लेख किया गया है)
- फाईल की छवि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के लिए फाईल का नाम: छवि01.जेपीजी या छवि01.जेपीईजी. छवि का आकार फोल्डर फाईलो को सूचीबद्ध कर के या माउस को फाईल ईमेज आईकन पर ले जाकर जाँचा जा सकता है . उम्मीदवार जो एमएस विंडो/एमएस ऑफिस का प्रयोग कर रहे है वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर को जेपीईजी फॉर्मेट में क्रमश: 50 केबी और 20 केबी से अधिक नहीं विशेषत: एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मेनेजर से प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को जेपीजी फॉर्मेट में फाईल मेन्यु के `सेव ऐज` विकल्प में सुरक्षित/सेव कर सकते हैं. फोटोग्राफ का आकार 50 केबी (फोटोग्राफ)और हस्ताक्षर का आकार 20 केबी (फोटोग्राफ)से कम क्रॉप का प्रयोग करते हुए, फिर री साईज का विकल्प चुनते हुए किया जा सकता है. (कृपया ईमेज मेन्यु मे पिक्सल साईज हेतु उक्त मद सी देखें) समान विकल्प अन्य फोटो एडिटर मे भी उपलब्ध हैं.

यदि फाईल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित निर्देश के अनुसार नहीं है, तो एरर का संदेश प्रदर्शित होगा.

ऑनलाईन आवेदन पत्र/फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु लिंक प्रदान किया जाएगा.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "अपलोड फोटोग्राफ / हस्ताक्षर"
- जहां फोटो / हस्ताक्षर फाईल सेव की गई है उस स्थान पर ब्राऊज कर सिलेक्ट करें.
- फाईल पर क्लिक कर उसे सिलेक्ट करें.
- "अपलोड" बटन पर क्लिक करें.

टिप्पणी : कृपया नोट करें कि ऑन लाईन आवेदन में वर्णित विवरण जिसमें उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म की तारीख, पता, मोबाईल क्रमांक/नंबर, ई-मेल आई डी, परीक्षा केन्द्र आदि लिखा गया है जो अंतिम माना जाएगा और एक बार ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा कर देने के पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन /संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी. अत: उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑन लाईन आवेदन पूर्ण सावधानी से करें क्योंकि इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदन में गलत और/या अपूर्ण विवरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या आवेदन फार्म/पत्र में दिए गए आवश्यक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी.

किसी भी संदर्भ में ऑनलाईन आवेदन यदि अधूरा होता है जैसे ऑनलाईन आवेदन में बिना उचित आकार की फोटोग्राफ और अपलोडेड हस्ताक्षर / असफल शुल्क भुगतान विचाराधीन और मान्य नहीं होगा. उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तारीख की समाप्ति से काफी पहले ऑनलाईन आवेदन करें और शुल्क / सूचना प्रभार जमा कराने की अंतिम तारीख का इंतजार न करें ताकि इंटरनेट / वेबसाईट पर भारी लोड/भार तथा जैम के कारण वेबसाईट पर लॉगईन फ़ेल्युर / अनुपलब्धता / असंबंध की संभावना से बचा जा सके. उक्त वर्णित कारणों या अन्य किसी कारण से यदि उम्मीदवार अंतिम तारीख तक अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. कृपया नोट करें कि केवल उक्त प्रक्रिया ही आवेदन करने की वैध प्रक्रिया है. अन्य किसी माध्यम से आवेदित या अधूरी प्रक्रिया से किये गये आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे.

आवेदक द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना उम्मीदवार के लिये व्यक्तिगत रुप से बाध्य होगी और बाद में किसी भी स्तर पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना / दिये गये विवरण यदि गलत पाये जाते हैं उस मामले में उत्पन्न होने वाले अभियोजन / शासकीय परिणामों हेतु उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे.

बुलावा पत्र डाऊनलोड करना

ऑन लाईन परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय चरण की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग से) के लिए बुलावा पत्र डाऊनलोड करने हेतु उम्मीदवार हमारी वेबसाईट http:/newindia.co.in. पर संपर्क करें. बुलावा पत्र डाऊनलोड करने की सूचना ई-मेल/ एसएमएस द्वारा भी दी जाएगी. उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करके बुलावा पत्र डाउन लोड करने हेतु विंडो तक पहुँच सकता है. बुलावापत्र डाऊन लोड करने हेतु उम्मीदवार का (i) पंजीकरण संख्या / अनु.क्रमांक, (ii) पासवर्ड / जन्म की तारीख आवश्यक है. प्रमुखत: पंजीकरण के दौरान लगाई गयी वर्तमान पहचान योग्य फोटोग्राफ ही बुलावा पत्र पर चिपकाएं और परीक्षा केन्द्र में (i) बुलावा पत्र (ii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य जैसे कि 'पहचान सत्यापन' और बुलावा पत्र में उल्लिखित है तथा iii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य की एक प्रतिलिपि साथ में लाएं .

12. कदाचार में दोषी पाये जाने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को यह परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान दिये गये विवरण में वे किसी प्रकार की गलत बयानी, हेरफेर, जालसाजी या किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को दबाने का प्रयास न करें.

ऑनलाईन परीक्षा / साक्षात्कार या आगामी चयन प्रक्रिया के समय यदि उम्मीदवार निम्न का दोषी पाया जाता है (या है) :
(i) परीक्षा के दौरान गलत स्रोत का प्रयोग या (ii) छद्मरुप या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छद्म रुप धारण करने या (iii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में दुर्व्यवहार करने, परीक्षा (परीक्षाओं) की विषयवस्तु अथवा इसमें दी गई कोई जानकारी पूर्णत: अथवा अंशत: किसी भी रूप में किसी भी साधन वाचिक अथवा लिखित, इलेक्ट्रॉनिकली अथवा यांत्रिक रूप से , किसी भी उद्देश्य से प्रकट करने , प्रकाशित करने, प्रतिकृति करने, संचारित करने, स्टोर करने अथवा संचारित तथा स्टोर करने में सहायता करने या (iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अनियमित अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने या (v) अनुचित साधनों के द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने या (vi) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या अन्यस कोई संचार उपकरण अंदर ले जाना
तो ऐसा उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा:

- परीक्षा से अयोग्य करार दिया जाएगा जिस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी है.
- कंपनी द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा या भर्ती के लिए उसे स्थायी रुप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा.
- यदि कंपनी में कार्य ग्रहण कर चुका है (दि न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी लिमिटेड) तो उसे सेवाओं से निष्कासित कर दिया जाएगा.

13. **अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / पीडब्ल्यूडी हेतु विशेष दिशानिर्देश:-**

ए) अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों से जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाए :

- जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी/ उपायुक्त/ उप जिलाधिकारी/ प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट/ उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट/ तालुका मैजिस्ट्रेट/ उच्च मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं).
- मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/ अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट.
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो.
- उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यत: रहता है.
- जहां तक तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति का संबंध है, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के एवज में राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र ही स्वीकार्य होगा.

नोट : राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश, जहाँ से जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति वैधता प्रमाणपत्र, स्वत: सत्यापित फोटोप्रति सहित, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा.

ऐसे उम्मीदवार जो अ.पि.व. के अंतर्गत आरक्षण चाहते हैं उन्हें "ओबीसी स्टेटस और नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस" के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि डीओपीटी का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) तारीख15/11/1993 (संशोधित वाया का.ज्ञा. संख्या 36033/3/2004-स्था(अवा) तारीख 14.10.2008) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो. प्रमाणपत्र में "नॉन क्रीमीलेयर खंड" होना अवश्य है जो कि 31/3/2016 को सम्पन्न हुए वित्त वर्ष पर आधारित हो. ऐसे उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रारुप में घोषणा भी प्रस्तुत करनी है.

" मैं _______ पुत्र / पुत्री श्री ____________ गांव / नगर / शहर का निवासी ________ जिला __________ राज्य ___________ एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं _________ समुदाय से संबंध रखता हूं जिसकी पहचान भारत सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण के प्रायोजन हेतु पिछड़े वर्ग के अंतर्गत की गयी है जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) तारीख 08.09.1993" (संशोधित वाया का.ज्ञा.संख्या36033/3/2004-स्था (अवा) तारीख 14.10.2008) के नियमों के अनुसार जारी किया गया है. मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मैं किसी व्यक्ति समूह/ समुदायों / समुदायों (क्रीमी लेयर) जिसका उल्लेख उपर्लिखित कार्यालय ज्ञापन तारीख 08.09.1993 के स्तंभ 3 की सूची, का.ज्ञा. संख्या 36033/3/2004-स्था(अवा) तारीख 09.03.2004 व का.ज्ञा. संख्या 36033/3/2004-स्था(अवा) तारीख 14.10.2008 में है."

- अशक्तता सहित व्यक्तियों हेतु:- जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड के प्राधिकृत सत्यापन प्राधिकारी होंगे जिसमें मुख्य मेडिकल अधिकारी, जिले के उप मंडलीय मेडिकल अधिकारी और ऑर्थोपेडिक/ ऑपथालमिक/ ईएनटी सर्जन शामिल होंगे.

- साक्षात्कार इत्यादि के समय पर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कृपया परिशिष्ट में दर्शाये गये निर्धारित फॉर्मेट (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक) में ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाएं. इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रमाणपत्र केवल इन्हीं फॉर्मेट में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें.

14. सामान्य सूचना:

- परीक्षा प्रशासन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णत: नकारा नहीं जा सकता जिसका प्रभाव परीक्षा देने और / या परिणाम तैयार करने पर हो सकता है. ऐसी घटना पर कठिनाई को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को किसी अन्य केन्द्र में स्थानांतरित करना शामिल है या, यदि आवश्यक हो तो, अन्य परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा. ऐसे परिवर्तन को स्वीकार न करने के इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा कीअपनी उम्मीदवारी खो देंगे.

- भर्ती से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्य होगा. इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार या व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होंगी.

- यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों में प्राप्त अंकों को परीक्षा के अलग अलग सत्रों के कठिनाई स्तर को समान करने के लिए समायोजित करने पर मामूली अंतर आएगा. एक से अधिक सत्र लिये जाने की आवश्यकता, नोड्स की क्षमता कम होने या केन्द्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कोई तकनीकी व्यवधान आने पर पड़ सकती है.

- एकल उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया (उत्तरों) का विश्लेषण अन्य उम्मीद्वारों के साथ, सही और गलत उत्तर के पैटर्न की समानता का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में अपनायी गयी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यदि यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तर का आपस में मिलान किया गया है तथा प्राप्तांक प्रामाणिक/वैध नहीं है तो कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकती है और ऐसे उम्मीदवारों का परिणाम रोक रखा जाएगा.

- चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत सूचना प्रदान करने के दृष्टांत सामने आते हैं तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवर को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य में उसे एनआयए (न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड) की किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे दृष्टांतों का पता नहीं चल पाता परंतु बाद में ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं तब ऐसी अयोग्यता पहले से ही प्रभावी होगी.

- पद हेतु ऑन लाईन आवेदन करते समय उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित तिथियों तक उपर्युक्त पात्रता को पूर्ण करता हैं और उसके द्वारा दी गई जानकारी सभी मामलों में सही है. यदि भर्ती के किसी चरण में यह पता चल जाता है कि उम्मीदवार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता और /या उसने गलत / झूठी जानकारी दी है या किन्हीं तथ्यों को छुपाया है तब उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी कमियाँ पायी जाती हैं तो उसको सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा.

- उम्मीदवारों के हित को ध्यान मे रखते हुए उन्हे सूचित किया जाता है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि से काफी पहले ही ऑन लाईन आवेदन कर लें (और अंतिम तिथि तक आवेदन करने का इंतजार न करें क्योंकि) अंतिम तिथि वाले दिन इंटरनेट पर लोड बढ़ने के कारण वेबसाइट पर लॉग-इन करने में असमर्थता/ विफलता/ डिसक्नेक्शन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है.

- किसी भी कारणवश यदि उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी.

- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं ऑन लाईन रजिस्टर करें तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना ई-मेल आयडी बरकरार रखें. आवेदन फॉर्म पर उम्मीदवार अपना मोबाईल नंबर कंपनी की एसएमएस सेवा हेतु दें.

- उम्मीदवारों का चयन ऑनलाईन परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने विवेकाधिकार जहाँ कहीं आवश्यक हो कोई केंद्र जोड़, हटा या आबंटित कर सकती है.

- **ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार का दाखिला अस्थायी तौर पर होगा और यह उम्मीदवार की आयु/ अर्हता/श्रेणी (अ.ज./ अ.ज.जा/ अ.पि.व/ पीडब्लूडी/ एक्सएस) से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बिना होगा.**

- साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीद्वारों को साक्षात्कार के समय आयु/ अर्हता/ श्रेणी आदि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. वे उम्मीद्वार जो (अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) के तहत आरक्षण पाना चाहते है वे निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र के साथ जमा करें और उक्त जाति प्रमाणपत्र में उस नियम/आदेश का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत उम्मीदवार की जाति को (अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व) घोषित किया गया हो और उम्मीदवार उस गांव व /कस्बे का निवासी है इसका भी स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिए.

- किसी भी चरण में जाति प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार का झूठ पाया गया तो उम्मीदवारी स्वत: ही **रद्द हो जाएगी.**

- उम्मीदवार जो कि सरकारी /अर्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय जमा करना होगा. ऐसा न कर पाने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा भत्ता देय है तो वह भी नहीं अदा किया जाएगा. **चयन किये गए उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ के समय अपने नियोक्ता (सरकारी /अर्ध सरकारी /सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के उपक्रम) द्वारा जारी सेवामुक्त पत्र /कार्य मुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ नहीं करने दिया जाएगा.**

- उम्मीदवार को अपने ही खर्च पर परीक्षा में उपस्थित रहना होगा. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रवास का सबूत(रेल/बस की टिकिट/रसीद) प्रस्तुत करने पर उन्हें स्लीपर क्लास का जाने व आने का न्यूनतम दूरी का रेल/बस किराया दिया जाएगा.

- चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रुप से स्वस्थ्य पाये जाने के अधीन होगी. जोंकि कंपनी की एक आवश्यकता है. ऐसी नियुक्ति कंपनी की सेवाओं और आचरण नियमों के अधीन होगी.

- पात्रता, ऑनलाईन परीक्षा के संचालन, अन्य परीक्षा, साक्षात्कार और चयन से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा. कंपनी द्वारा इससे संबंधित किसी भी अनुरोध या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
- कंपनी किसी भी उम्मीदवार को प्रथम नियुक्ति के स्थान पर पाँच वर्षों के न्यूनतम कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है.

- किसी विधि दावे की प्रक्रिया में विज्ञापन के संदर्भ मे उठे विवाद और/ या उसके संबंध मे आवेदन केवल मुंबई के न्यायालय/ न्यायाधिकार/ अदालत में ही किया जा सकता है.

- चयनित उम्मीदवार कंपनी के प्रचालित सेवा नियमो की शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित होंगे.

I. परीक्षा हॉल में मोबाईल फोन, गणक या ऐसे किसी भी साधन का प्रयोग वर्जित है. परीक्षा हॉल में जाने के पहले उम्मीदवारों की जांच की जाएगी ताकि निम्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके:
II. उम्मीदवारों के हित में यह सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा स्थल पर प्रतिबंधित वस्तुएं जिनमें मोबाईल फोन का समावेश हैं, न लायें क्योंकि इन वस्तुओं को सुरक्षित स्थल पर रखने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं की जाएगी।

- परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश अस्थायी है. उम्मीदवार को जारी बुलावा पत्र से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कंपनी ने उम्मीदवारी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है.
- कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय बिना किसी कारण बताए रद्द कर सकती है.

किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में हमारे वेबसाईट http://newindia.co.in में भर्ती खंड में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेज़ी रूपांतर अंतिम माना जाएगा. उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन तथा भर्ती प्रक्रिया के आगामी अद्यतनों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट के भर्ती खंड पर संपर्क करें.

किसी भी प्रकार से की गई याचना को अयोग्य माना जाएगा.

उप महा-प्रबंधक **मुंबई**
कॉर्पोरेट एचआरएम **10.10.2016**

नोट : किसी भी प्रकार की कानूनी विवेचना के लिए अंग्रेजी रुपांतर मान्य होगा.